मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल

कमांक एफ2-1/2019/सात/शा-7

भोपाल,दिनांक 26/2/2019

ज्ञापन

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 के द्वारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता,1959 में किए गए संशोधनों के संदर्भ में विगत दिनों प्रदेश के विभिन्न संवर्गों के राजस्व अधिकारियों के प्रशिक्षण का आयोजन आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल में किया गया था, जिसमें कतिपय अधिकारियों द्वारा यह प्रश्न उठाया गया था कि संशोधन अधिनियम,2018 के पूर्व के प्रावधानों के अनुसार किसी भी खसरे का बटवारा होने की दशा में उसके एक से अधिक खंड निर्मित होने पर बंटाकन की कार्यवाही तत्कालीन धारा 70 में सर्वेक्षण संख्याकों को पुर्नकमांकित या उपविभाजित करने की शक्तियां बंदोबस्त अधिकारी को प्राप्त रही है, और बंदोबस्त अधिकारियों की ऐसी शक्तियां धारा 90 के अनुसार राजस्व सर्वेक्षण बंद हो जाने के बाद तथा बंदोबस्त की अवधि के दौरान कलेक्टर को प्राप्त रही हैं। कलेक्टर की ऐसी शक्तियां मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 30 अगस्त, 1968 में प्रकाशित अधिसूचना कमांक 2543–6408–सात–ना–1 दिनांक 27 जून, 1968 के द्वारा तहसीलदार को प्रदत्त रही हैं। राजस्व अधिकारियों द्वारा यह जानना चाहा गया है कि संशोधन उपरांत अब बंदोबस्त अधिकारी का पद अस्तित्व में नही है ऐसी स्थिति में सर्वेक्षण संख्यांको को पुर्नकमाकित या उपविमाजित करने की शक्ति का प्रयोग किस राजस्व अधिकारी द्वारा किया जाना है?

2/ उल्लेखनीय है कि संशोधन अधिनियम, 2018 के द्वारा संशोधन के पूर्व के संहिता के अध्याय 7 एवं 8 के स्थान पर नया अध्याय– 7 प्रतिस्थापित किया गया है। इस प्रकार संशोधित प्रावधानों के अनुसार धारा 68 में सर्वेक्षण संख्यांक, ब्लाक संख्यांक तथा भू–खण्ड संख्यांक को पुर्नकमांकित करने या उपविभाजित या समामेलित करने की शक्ति जिला सर्वेक्षण अधिकारी को प्रदत्त है, आगे धारा 76 में यह प्रावधान किया गया है कि भू–सर्वेक्षण के अधीन न आने वाले क्षेत्रों मे, अध्याय–7 के अधीन जिला सर्वेक्षण अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग कलेक्टर करेगा ।

3/ मध्यप्रदेश जनरल क्लाजेज एक्ट, 1957 (कमांक 3 सन् 1957) की धारा 25 निम्नानुसार है:–

> **"25. Continuation of orders etc, issued under enactments repealed and re-enacted.**-Where any enactment is repealed and re-enacted by a Madhya Pradesh Act with or without modification, then, unless it is otherwise expressly provided, any appointment, notification, order, scheme, rule, regulation, form or bye-law made or issued under the repealed enactment shall, so far as it is not inconsistent with the provisions re-enacted, continue in force, and be deemed to have been made or issued under the provision so re-enacted, unless and until it is superseded by any appointment, notification, order, scheme, rule, regulation, form or bye-law made or issued under the provisions so re-enacted.

जनरल क्लाजेज एक्ट के उपरोक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि संशोधन अधिनियम, 2018 के परिणाम स्वरूप संहिता में हुए संशोधन के प्रभाव में जिला बंदोबस्त अधिकारी की

—2—

जो शक्तियां बंदोबस्त अवधि के दौरान कलेक्टर को प्रदत्त रही है और अब यह कार्य बंदोबस्त अधिकारी के स्थान पर जिला सर्वेक्षण अधिकारी को सौंपा गया है तथा जिला सर्वेक्षण अधिकारी की यह शक्तियां, जो ऐसे क्षेत्रों में सर्वेक्षण के अधीन नही है, में कलेक्टर को प्राप्त हैं। स्पष्ट है कि संशोधन से पूर्व की धारा 70 की शक्तियां संशोधन उपरांत प्रतिस्थापित धारा 68 के अनुसार कलेक्टर को प्राप्त हैं।

इसी प्रकार तत्कालीन धारा 70 के संबंध में जारी अधिसूचना दिनांक 27 जून, 1968 जो कि राजपत्र दिनांक 30 अगस्त, 1968 में प्रकाशित है, के अनुसार कलेक्टर की उपरोक्त शक्तियां तहसीलदार को सौंपी गयी मानी जाएंगी।

4/ उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट किया जाता है कि जब तक उक्त अधिसूचना दिनांक 27 जून, 1968 किसी उत्तरवर्ती अधिसूचना के द्वारा अधिक्रमित नही कर दी जाती, तब तक उक्त अधिसूचना, यथोचित परिवर्तनों सहित (*mutatis mutandis*), प्रभाव में रहेगी और पालनीय होगी। अर्थात् सर्वेक्षण संख्यांक, ब्लाक संख्यांक तथा भू-खण्ड संख्यांक को पुनर्कमांकित करने या उपविभाजित करने या समामेलित करने की जिला सर्वेक्षण अधिकारी की शक्तियां ऐसे क्षेत्रों में जो भू-सर्वेक्षण के अधीन नही है, में कलेक्टर को प्राप्त होने और उक्त अधिसूचना के अनुक्रम में तहसीलदार को सौंपी गयी होने के कारण तहसीलदार को प्राप्त है और यह कार्य ऐसे क्षेत्रों में तहसीलदार के द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

5/ उपरोक्त विधिक स्थिति यद्यपि स्पष्ट है तथापि जानकारी के लिये संप्रेषित है।

26/2/19

(मनीष रस्तोगी)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

पृ0कमांक एफ2-1 /2019/सात/शा...7. भोपाल दिनांक 26/2/2019

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल,
2. निज सचिव, समस्त माननीय मंत्रीगण/मान. राज्य मंत्रीगण मध्यप्रदेश,
3. सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, वल्लभ भवन, भोपाल,
4. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
5. शासन के समस्त विभाग,
6. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश,
7. प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय, भोपाल, मध्यप्रदेश,
8. आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
9. सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य भूमि सुधार आयोग, भोपाल,
10. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
11. समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश,
12. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश,
13. नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया सूचना को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित कर, प्रकाशन की 500 प्रतियां इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें।
14. संचालक, सूचना प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग